कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा हरिओम सिंह, प्रधानाचार्य, राउमावि करही, नदबई जिला भरतपुर का स्थानान्तरण राउमावि बुद्खान, खेराबाद जिला कोटा किया गया था जिसके विरूद्ध हरिओम सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1207/2021 हरिओम सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 1207/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 2 सप्ताह की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 15 दिवस में निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के दिव्यांग होने को दृष्टिगत रखते हुए अपना स्थानान्तरण निरस्त कर पुनः राउमावि करही, नदबई जिला भरतपुर में पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्वयं की दिव्यांगता के आधार पर अनुतोष प्रदान किये जाने की मांग की गई है जिसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्मिकों को ही स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे जबकि अपीलार्थी केवल 40 प्रतिशत से ही अधिक दिव्यांग है।

अपीलार्थी के स्थान पर अन्य प्रधानाचार्य का पदस्थापन कर दिए जाने के कारण स्थानान्तरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में अपीलार्थी को राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। उक्तानुसार अपीलार्थी हरिओम सिंह द्वारा रिक्त पद प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। चूंकि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया था इसलिए अपीलार्थी श्री हरिओम सिंह को आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 02.02.2021 की तत्काल पालना करते हुए स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/हरिओम सिंह/1062/2021/227 **दिनांकः** 15.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/कोटा संभाग, भरतपुर/कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर/कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक भरतपुर/कोटा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. प्रधानाचार्य, डाईट गोनेर, जयपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री हरिओम सिंह, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि बुदखान, खैराबाद जिला कोटा को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)